

प्रेम्क,

श्री राम कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2, सुदूरपु केंद्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

लखनऊ: दिनांक: 26/12/2001

शिक्षा 171 अनुभाग

विषय:-

सरकारी विहार दिल्ली रोड तहारपुर जो सीओएसओ नईदिल्ली से संबन्धता हेतु अनामत प्रमाण का दिये जाने विषय ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर ऊ्हे सब कलें का निदेश हुआ है कि सरकारी विहार दिल्ली रोड तहारपुर जो सीओएसओ नईदिल्ली से संबन्धता हेतु अनामत प्रमाण का दिये जाने में जो राज्य सरकार को सिमांकित प्रतियोगी है अंग्रेज अनामत नहीं है :-

- 111
- 121
- 131
- 141

विद्यालय की पंजीकृत होसकती का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

विद्यालय की प्रकथ समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चोंके लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषद की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

- 151 संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनासकीय उ०मा० विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

॥ राम कुमार ॥
विशेष सचिव ।

पृ० सं०- 9522111/15-7-72 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गठारनपुर ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गठारनपुर ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, सरस्वती विहार दिल्ली रोड, गठारनपुर ।

आज्ञा से,

॥ अखिलेश चन्द्र गुप्त ॥
अनु सचिव ।